GOVERNMENT OF NCT OF DELHI
WEIGHT & MEASURES DEPARTMENT
117-118, C-BLOCK VIKAS BHAWAN, NEW DELHI
Phone: 23379266 Fax: 23379267.
Website: www.weights.delhigovt.nic.in E-mail: cwmd@hub.nic.in

No. F.8-III (88)/W&M//2004/ 1260 Dated: 31-3-10

OFFICE ORDER

In compliance of provision of Section 72(4) of The Standards of Weights & Measures (Enforcement) Act-1985, following draft rules have been published in the Delhi Gazette Extraordinary part IV vide notifications dated 9th February, 2010 (Copy enclosed). As per conditions stipulated in the notifications the copies of the Gazette notifications have to be made available to the public likely to be affected thereby, for taking their suggestions/objections in this regard. As such copies of these notifications are being forwarded to all the Zonal Officers with the direction to get them displayed in the office notice board for inspection of general public. Publicity about availability of the notifications in the Department Web site (www.weights.delhigovt.nic.in) may also be given. Compliance report be submitted to HQ immediately.

SECRETARY, LEGAL METROLOGY
GOVT. OF NCT OF DELHI

Encl.: As above.

No. F.8-III (88)/W&M//2004/ **Dated:**

Copy forwarded to:-

1. All Zonal Officers and In-Charge Calibration and Taxi Meter Unit.
2. S.A (F&S) with direction to upload the notification on website of the department.

SECRETARY, LEGAL METROLOGY
GOVT. OF NCT OF DELHI

728-S.A Comp 01/4/10

Programmer

Pl. upload on the website.

01/04/10

Sh. Rabish (Prog)

1/4

283/C

रजिस्ट्री सं. डी.एल.—33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 9, 2010/माघ 20, 1931 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 304

No. 22] DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 9, 2010/MAGHA 20, 1931 [N.C.T.D. No. 304

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

बाट एवं माप विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 फरवरी, 2010

सं. फा. 8-III/डब्ल्यू.एण्ड एम/प्र./2005/2711.—दिल्ली मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) नियमावली, 1988 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियमावली, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्र सरकार से पूर्व परामर्श के पश्चात् तथा मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1985 (1985 का 54) की धारा 3 के खण्ड (एन) के साथ पठित धारा 72 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करते हैं उसे उन व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है जिनकी इससे प्रभावित होने की संभावना है तथा एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर उस तारीख से 30 दिनों की अवधि के पश्चात् विचार किया जाएगा जब से इस अधिसूचना वाले दिल्ली राजपत्र की प्रतियां, इस संबंध में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों सहित जो कि निर्धारित अवधि में इस संबंध में प्राप्त हो सकती है जनता को उपलब्ध कराई जाएगी ।

इस संबंध में आपत्ति एवं सुझाव नियंत्रक (विधिक माप विज्ञान) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बाट एवं माप विभाग, कमरा संख्या 117-118, सी-ब्लाक, विकास भवन, आई पी इस्टेट, नई दिल्ली-110002 को संबोधित होनी चाहिए ।

प्रारूप नियमावली

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) संशोधन नियमावली, 2009 कहा जाए ।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी ।

2. अनुसूची 12 का संशोधन.—दिल्ली मानक बाट एवं माप (प्रवर्तन) नियमावली, 1988 की अनुसूची 12 में मद संख्या 16 के पश्चात्, निम्नलिखित मद को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"17. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस ईंधन (एलपीजी) आटो ईंधन पम्पों का सत्यापन 1000 रुपया प्रति इकाई" ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

जे. एस. रघुरमन, सचिव, विधिक माप विज्ञान

टिप्पण.—मुख्य नियमों को दिल्ली राजपत्र में दिनांक 26-8-1988 की अधिसूचना संख्या 29 (अधिनियम)/एम डब्ल्यू एम/86 के तहत प्रकाशित किया गया था और तद्नुसार संशोधित किया गया ।

1. संख्या फा. 8(18)/एम डब्ल्यू एम/लीगल/98 दिनांक 30-9-1998
2. संख्या फा. 8(18)/एम डब्ल्यू एम/लीगल/98/1804 दिनांक 3-2-1999
3. संख्या फा. 8(18)/एम डब्ल्यू एम/लीगल/98/1949 दिनांक 20-12-2002
4. संख्या फा. 7(63)/ डब्ल्यू एण्ड एम/2000/भाग 1/337 दिनांक 23-1-2003
5. संख्या फा. 8-III(88)/डब्ल्यू एण्ड एम/प्र./2004/5252 दिनांक 9-12-2004

This declaration is made under the provisions of Section 6 of the Land Acquisition Act, 1894 in respect of the land notified u/s. 4 of L.A. Act, 1894 *vide* Notification No. F.11(26)/09/L&B/LA/13750 dated 29-1-2010 to all whom it may concern. Under the provisions of Section 7, of the said Act, the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi is hereby directed to take orders for the acquisition of the said land.

A plan of the land may be inspected at the office of the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi.

SPECIFICATION

Village	Total Area (Bigha-Biswa-Biswansi)	Khasra No.	Area (Bigha-Biswa-Biswansi)
Samaypur	2-0-15	39//14 min	0-08-00
		39//15 min	0-00-07
		50//26 min	1-12-08

संख्या एफ. 11(26)/09/भू. व. भ./भू.अ./14304.—भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल भूमि अधिग्रहण कलैक्टर (उत्तर-पश्चिम), दिल्ली को सहर्श निर्देश देते हैं कि वे उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (1) के अधीन इस सूचना के प्रकाशन के 15 दिन की समाप्ति पर ऐसी भूमि पर कब्जा कर लें जिसका विशिष्ट विवरण अधिसूचना संख्या एफ. 11(26)/09/भू.व.भ./भू.अ./13750 दिनांक 29-1-2010 धारा 4 एवं संख्या एफ. 11(26)/09/भू.व.भ./भू.अ./14303 दिनांक 9-2-2010 धारा 6 में दिया हुआ है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,
कुलदीप सिंह गंगर, संयुक्त सचिव

No. F. 11(26)/09/L&B/LA/14304.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 17 of the Land Acquisition Act, 1894, the Lt. Governor, Delhi is pleased to direct the Land Acquisition Collector (North-West), Delhi to take possession of land the specification of which is given in the notification No. F.11(26)/09/L&B/LA/13750 dated 29-1-2010 under Section 4 and No. F.11(26)/09/L&B/LA/14303 dated 9-2-2010 under Section 6 of the said Act on expiry of 15 days from publication of the notice under sub-section (1) of Section 9 of the said Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of Delhi,
KULDEEP SINGH GANGAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.